FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

[L.D. Case No.- 163/2023]

Manikant Sharma & Anr ....**Petitioner.**

Versus

Ramni Devi..**Opposite Parties.**

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	18.7.2025	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा द्वारा B.L.D.R. Case No.–08/2019-20 में दिनांक-25.7.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षी की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत जमीन की विवरणी निम्नानुसार है :- **अंचल** – भवानीपुर; **मौजा/ थाना नं0** – बड़हरी/ 225; **खाता** – 117; **खेसरा** – 846; **रकवा** – 1.5 डी0 दिनांक-03.7.2025 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षी का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों- वाद पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि विपक्षी के पति-राजो मंडल एवं देवर सहेन्द्र मंडल, पिता-कपुरी मंडल को अंचल कार्यालय, भवानीपुर के वासगीत पर्चा अभिलेख सं0-48/98-99 द्वारा प्रश्नगत जमीन वासगीत पर्चा से प्राप्त है। तथा जमाबंदी संख्या-93 कायम है। अपीलार्थी के द्वारा प्रश्नगत जमीन को क्रय करने के आधार पर दावा किया जा रहा है। जो विधिमान्य नहीं है। कागजातों के आधार पर यह स्थापित होता है कि विपक्षी के पति राजो मंडल एवं देवर सहेन्द्र मंडल Privileged Tenant हैं। निम्न न्यायालय (भूमि सुधार उप-समाहर्त्ता, धमदाहा) के स्तर से B.L.D.R. Case No.–08/2019-20 में संगत तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश (25.7.2023) पारित किया गया है। निम्न न्यायालय आदेश विधिसम्मत है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें। Raje K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया लेखापित एवं शुद्धित। Raje K. 18/7/2025. आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। (Seal: आयुक्त न्यायालय, पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया)	

Table within order:

अंचल	मौजा/ थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
भवानीपुर	बड़हरी/ 225	117	846	1.5 डी0